तीन औद्योगिक सुरक्षा बल गठित होंगे

1 रविन्द्र भवन में अभिनंदन समारोह में सीएम ने की घोषणा

2 बैगा, भारिया और सहरिया युवाओं की विशेष कंपनी भी बनेगी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 अगस्त. प्रदेश के खंडवा में नई पुलिस बटालियन स्थापित की जायेगी. प्रदेश में तीन राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा. पहले चरण में एक बल गठित किया जाएगा. विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी में आने वाली बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातीय युवाओं की विशेष कम्पनियां भी गठित की जायेंगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को ये घोषणा की. सीएम का रविन्द्र भवन में पुलिस विभाग द्वारा अभिनंदन किया गया. पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में नवीन भर्तियों की शुरुआत करने तथा वर्षों से लंबित पदोन्नतियों का लाभ दिलाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि पुलिस बल और पुलिसवालों का मनोबल दोनों बढ़ाएंगे.

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर चोट और तनाव झेलते हैं,

लेकिन उनके परिश्रम को सम्मान और पुरस्कार मिलने का भरोसा भी जरूरी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग के 58 संवर्गों में रिकॉर्ड 27 हजार 534 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं. इनमें मैदानी स्तर के 12 हजार 928 आरक्षक प्रधान आरक्षक तथा 5 हजार 171 प्रधान आरक्षक सहायक उपनिरीक्षक बने हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पदोन्नति का रास्ता खुलने का सबसे बड़ा लाभ पुलिस विभाग को मिला है. युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न संवर्गों में 14 हजार 704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है और 9 हजार 751 अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. पुलिस बैंड और एफएसएल की भर्ती भी अंतिम चरण में है.

अपराधियों में कानून के प्रति खौफ पैदा करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खाकी वर्दी और कंधों पर सजे सितारे मध्यप्रदेश के साढ़े 8 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक हैं. उन्होंने पुलिसकर्मियों से ईमानदारी, संवेदनशीलता, अनुशासन और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हुए जनता में पुलिस के प्रति प्रेम और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने का आहवान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अपनी ड्यूटी निभाए, सरकार आपके परिवार के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी. डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस के जवान और अधिकारी अनुशासन के साथ अपने दायित्वों को पूरा कर जीवन को धन्य करते हैं. पुलिस परंपरा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे अनेकों नाम हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं. डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य किए हैं.

गुजरात के निवेशकों को मप्र आमंत्रित करेंगे सीएम

- सीएम अहमदाबाद में कल करेंगे मेगा निवेश रोड शो
- जीआईएस-2027 के लिए भी देंगे आमंत्रण

भोपाल, 10 अगस्त. मप्र के औद्योगिक विकास को गति देने और देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों के साथ निवेश साझेदारी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अगस्त को अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे.

अहमदाबाद में मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योग जगत को मप्र में उपलब्ध निवेश अवसरों, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और निवेशक सुविधाओं से अवगत कराऐंगे तथा प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए भी गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित भी करेंगे.

ताज स्काईलाइन होटल अहमदाबाद में आयोजित मुख्य निवेशक संवाद सत्र में मप्र की औद्योगिक क्षमता और निवेश संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा. कार्यक्रम में सीआईआई गुजरात स्टेट काउंसिल के चेयरमैन एवं सिम्फनी लिमिटेड के चेयरमैन अचल बाकेरी स्वागत उद्बोधन देंगे. इसके बाद मप्र में निवेश अवसरों पर विशेष ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति होगी. अपर मुख्य सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन नीरज मंडलोई मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य, मजबूत अधोसंरचना, निवेशक-अनुकूल नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश अवसरों पर विस्तृत प्रस्तुति देंगे. प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेन्द्रन प्रदेश के टेक इकोसिस्टम, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, स्टार्टअप्स एवं उच्च प्रौद्योगिकी आधारित निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे.

रक्षा मंत्री से मिलीं सांसद भारती पारधी

बालाघाट-सिवनी में सैनिक स्कूल की स्थापना का दिया प्रस्ताव

बालाघाट, 10 अगस्त. बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सांसद भारती पारधी ने बालाघाट-सिवनी में सैनिक स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव रखा है. सांसद ने संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक सहयोग की मांग की.

सांसद भारती पारधी ने रक्षा मंत्री को क्षेत्र में सैनिक स्कूल की आवश्यकता और इसके दूरगामी महत्व से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि बालाघाट-सिवनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जिन्हें बेहतर शिक्षा के साथ अनुशासन, शारीरिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर मिलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि बालाघाट-सिवनी में सैनिक स्कूल की स्थापना से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और करियर के नए अवसर खुलेंगे. विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर मिलेगा.

पानी से भरे गढ्ढे में डूबने से दो मासूमों की मौत

रीवा. गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मॉल में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी के अनुसार घटना 9 अगस्त की शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है. दोनों बच्चे कुछ समय के लिए घर से बाहर थे. जब काफी देर तक दोनों दिखाई नहीं दिए तो परिजनों ने उनकी आसपास तलाश शुरू की.

शिक्षकों की ई-अटेंडेंस अनिवार्यता मामले में फैसला सुरक्षित

जबलपुर, 10 अगस्त. सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लागू ई-अटेंडेंस व्यवस्था पर हाईकोर्ट में अब यह सवाल केंद्र में है कि सरकारी काम के लिए कर्मचारी को अपने निजी संसाधन इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया जा सकता है या नहीं.

शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.

उल्लेखनीय है कि अमरपाटन सतना निवासी सतेन्द्र सिंह तिवारी की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि ई-अटेंडेंस दर्ज करने के लिए शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना पड़ रहा है.

दो साल से लंबित वेतनवृद्धि लागू

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को बड़ी राहत

भोपाल, 10 अगस्त. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु अनुपम राजन ने कार्यभार संभालते ही कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पिछले दो वर्षों से लंबित वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) को लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति भी प्रदान की गई है.

वेतनवृद्धि लंबित होने से परेशान करीब 40 कर्मचारियों को

अब इसका लाभ मिलेगा. निर्णय से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ उनके मनोबल में भी वृद्धि हुई है. वहीं समयमान वेतनमान की स्वीकृति मिलने से पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार वित्तीय लाभ प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है.

लंबित प्रकरणों के निराकरण से बढ़ा उत्साह

विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलसचिव डॉ. समर बहादुर सिंह ने कहा कि कुलगुरु अनुपम राजन के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से कर्मचारियों में सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिल रही है. लंबे समय से लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय में बेहतर कार्य वातावरण बन रहा है.

कमजोर पैरामीटरों में तत्काल सुधार लाकर प्रगति सुनिश्चित करें: कलेक्टर कटेसरिया

रतलाम। कलेक्टर अजय कटेसरिया के द्वारा सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा में कुपोषण से संबंधित आंकड़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई एवं समस्त सीडीपीओ को निर्देशित किया गया कि जिन भी आंकड़ों पर कमजोर स्थिति है उसमें सभी प्रगति लाये एवं विभागीय योजनाओं में भी प्रगति लेकर आये। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन के संभागीय संयुक्त संचालक राजेश मेहरा भी उपस्थित थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा कलेक्टर कटेसरिया एवं संभागीय संयुक्त संचालक मेहरा को आश्वस्त किया गया कि उनके के द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों पर गंभीरता से विभाग कार्य करेगा एवं विभाग बेहतर प्रगति करेगा। समीक्षा बैठक में सहायक संचालक, परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर उपस्थित थी।

मंत्री नारायण सिंह पंवार ने सुनीं जनसमस्याएं

भोपाल, 10 अगस्त. मध्यप्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह पंवार ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याएं और सुझाव सुने.

मंत्री ने कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से तत्काल चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए. मंत्री पंवार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से सामने आने वाली जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाना आवश्यक है. उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों से चर्चा कर उन मामलों का समाधान कराया, जिनका तत्काल निराकरण संभव था. वहीं जिन प्रकरणों में विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता थी, उन्हें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया. इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया. मंत्री ने सभी मामलों की जानकारी लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

मंत्री नारायण सिंह पंवार ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनके माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं का गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

एक दिन में 4 लोगों के खाते से उड़ाए 4 लाख से ज्यादा

ग्वालियर, 10 अगस्त. जिले में साइबर ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले दो माह से साइबर अपराधी शहरवासियों को लोन सेटलमेंट, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने, ऐप डाउनलोड और बिना ओटीपी के खातों से रकम उड़ाने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं. ताजा मामले में चार अलग-अलग शिकायतों में ठगों ने 4 लाख 2 हजार 222 रुपए की ठगी कर ली. पुलिस ने सभी मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता निवासी 35 वर्षीय महेंद्र शर्मा रामजीवन शर्मा प्राइवेट जॉब करते हैं. आठ जुलाई को उनके मोबाइल पर कॉल आया. कॉलर ने खुद को कोटा महिंद्रा बैंक कर्मचारी बताया. इस बैंक में महेंद्र का लोन चल रहा था, तो वह बातों में आ गए. कॉलर ने उनसे वादा किया कि यदि वे लोन पर करते हैं तो उन्हें 10 से 11 हजार की छूट मिल जाएगी.

सिंगाजी की दो बहनों ने केनाइंग में मचाई धूम

कावेरी ने 3 गोल्ड तो दीपिका ने 2 सिल्वर जीते

राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा रहीं मान कावेरी के नाम 50 से अधिक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पदक

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिले के सिंगाजी क्षेत्र की दो बहनों ने खेल की दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। परिवार की मदद के लिए छोटी नाव से मछली पकड़ने का काम करने वाली कावेरी डिमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डिमर आज केनाइंग खेल में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।

समाज सेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने सिंगाजी की कावेरी और दीपिका को उपलब्धि पर बधाई देते हुए बताया कि भोपाल के लोअर लेक में आयोजित अश्मिता नेशनल प्रतियोगिता में दोनों बहनों ने कुल 6 पदक जीतकर ग्राम सिंगाजी के साथ जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन किया।

सीनियर वर्ग में खेल रहीं कावेरी डिमर ने शानदार प्रदर्शन

करते हुए महिलाओं की सी-2 1000 मीटर, सी-4 1000 मीटर और सी-4 500 मीटर स्पर्धा में तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं जूनियर वर्ग में दीपिका डिमर ने सी-1 महिला 500 मीटर में कांस्य, सी-1 महिला 200 मीटर और सी-4 महिला 200 मीटर में दो रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि कावेरी डिमर का खेल सफर संघर्ष और उपलब्धियों से भरा रहा है। अब तक वह 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं।

इनमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल हैं। छोटी बहन दीपिका भी अपनी बड़ी बहन के नक्शेकदम पर चलते हुए लगातार पदक जीत रही हैं। वह अब तक 20 से अधिक पदक अपने नाम कर चुकी हैं।

छोटी नाव से शुरू हुआ सफर, अब राष्ट्रीय पहचान

दोनों बहनों का जीवन संघर्ष से जुड़ा रहा है। परिवार की आजीविका में सहयोग के लिए वे छोटी नाव से मछली पकड़ने का काम भी करती रही हैं। इसी नाव और पानी से जुड़ाव ने आगे चलकर उन्हें केनाइंग जैसे खेल की ओर बढ़ने का अवसर दिया। मेहनत, लगन और लगातार अभ्यास के दम पर दोनों बहनों ने खेल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि कावेरी और दीपिका की उपलब्धियां न सिर्फ उनके परिवार बल्कि सिंगाजी क्षेत्र और पूरे खंडवा जिले के लिए गौरव की बात हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद दोनों बहनों का राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीतना यह साबित करता है कि प्रतिभा को यदि मेहनत और सही अवसर मिले तो वह किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान बना सकती है।

एक नजर में मंत्री नागर सिंह चौहान भी हुए शामिल, श्रद्धालुओं ने लगाए बाबा के जयकारे...

मौजीशंकर महादेव की शाही सवारी निकाली

नव भारत न्यूज

रतलाम। शहर में सावन सोमवार के दूसरे सोमवार को शहर शिव भक्ति में रंगा नजर आया। सुबह से ही देवालयों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। सभी ने पूजा-अर्चना कर महादेव से सुख समृद्धि की कामना की।

विप्लव जैन मित्र मंडल द्वारा सावन के दूसरे सोमवार को शहर में भव्य शाही सवारी निकाली गई। शाम को घांस बाजार स्थित भगवान मौजीशंकर महादेव की शाही निकली। रथ में भगवान मौजी शंकर महादवे विराजीत थे। शाही वारी में भूत-प्रेत की टोलियां में कलाकार तरतब दिखाते हुए शामिल हुए। मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री नागर सिंह चौहान एवं गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष ओम जैन ने सोमवार को भगवान मौजीशंकर महादेव की पारंपरिक शाही सवारी में शामिल होकर श्रद्धापूर्वक दर्शन-पूजन किया तथा प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि खुशहाली की कामना की। शाही सवारी के दौरान जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय, नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल, जिला योजना समिति सदस्य प्रदीप उपाध्याय, विकास प्राधिकरण के विप्लव जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में निकली शाही सवारी का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया।

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

कार्पोरेट आफिस: 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लॉक, इन्सीप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051

रजि. आफिस: कमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पुरुर, चेन्नई-600116, चमिलनाडु

डिमांड नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम')

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस(ओं) की विषयवस्तु नीचे उद्धृत की गई है:-

क्र.	ऋण खाता संख्या एवं नाम उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता संपत्ति धारक जैसा भी मामला हो	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (बंधक संपत्ति)	डिमांड नोटिस तिथि 13/2 के तहत और कुल बकाया
1.	**LAN: 601739212177842** **1. रामदर्श चौहान** **2. संगीता चौहान** **पता:** 238 वर्धमान नगर रोड मेहतवास बिरला ग्राम नागदा उज्जैन 456331	मकान में स्थित वह संपूर्ण संपत्ति, जिसका सर्वे नंबर 1337/1, 1340/2, 1341/1/2, वार्ड नंबर 21(105), पुराना वार्ड नंबर 25, नया मोहल्ला अमलावड़िया, कंकर पर रोड से अंदर नागदा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456335 है. इसका क्षेत्रफल 58.52 वर्ग मीटर है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में 10 फीट चौड़ी गली, उत्तर में रतन बाई का मकान, दक्षिण में रामचंद्र का प्लॉट.	**20.07.2026** **रु. 25,22,897.51 रुपये (रु. पच्चीस लाख बाइस हजार आठ सौ सन्तानवे और पैसा इक्यावन मात्र) दिनांक 11.07.2026** **एनपीए दिनांक: 06.07.2026**
2.	**LAN: 601607210255705** **1. आनंद गौर** **2. संगीता (गौर) पटेल** **पता:** एफ/एन 204 सी ब्लॉक आंचल नगर मोनार्क हाइट्स स्कूल नंबर 140 बिचोली रोड इंदौर मध्य प्रदेश 452001	पुष्परतन पार्क कॉलोनी, देवगुरड़िया गांव, इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित मकान नंबर 509 के दक्षिणी भाग में स्थित पूर्ण भूभाग. इसका क्षेत्रफल 550 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में- प्लॉट नंबर 528, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- प्लॉट नंबर 510, दक्षिण में- उसी प्लॉट का शेष भाग.	**20.07.2026** **रु. 19,24,350.96 (रु. उन्नीस लाख चौबीस हजार तीन सौ पचास और पैसा छियानवे मात्र) दिनांक 09.07.2026** **एनपीए दिनांक: 06.07.2026**
3.	**LAN: 601739212062046** **1. बंटी सतवाल** **2. श्री शिवनारायण** **3. श्रीमती देवकन्या** **पता:** चिंतामन जवासिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456006	वह पूर्ण संपत्ति जो मकान संख्या 522, ग्राम चिंतामन जवासिया, पीएच नंबर 85, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है. इसका क्षेत्रफल 1495 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में- हरि जी का मकान, पश्चिम में- आम सड़क, उत्तर में- मोहनलाल जी का मकान, दक्षिण में- ओमप्रकाश का मकान.	**20.07.2026** **रु. 11,73,863.06 रुपये (रु. ग्यारह लाख तिहेत्तर हजार आठ सौ तिरेसठ और पैसा छह मात्र) दिनांक 11.07.2026** **एनपीए दिनांक: 06.07.2026**
4.	**LAN: 6150395111178034** **1. मोहम्मद आसिफ छिपा** **2. श्रीमती रुखसाना बानो छिपा** **पता:** वार्ड संख्या 40, निकट शंकेश्वर विहार कॉलोनी, ग्राम तिगारिया, पीएच नंबर 29, मंदसौर, मध्य प्रदेश 458001	वह पूर्ण भूभाग और पार्सल संपत्ति जो स्थित है: सर्वे संख्या 155/1/मिन-1 (नया 155/1/1/1/1/2) शंकेश्वर विहार कॉलोनी के निकट, वार्ड संख्या 40, ग्राम तिगारिया, पीएच नंबर 29, मंदसौर, मध्य प्रदेश. क्षेत्रफल: 385 वर्ग फुट. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व- सड़क, पश्चिम-भोला या शाहजाद सलीम की संपत्ति, उत्तर-अन्य संपत्ति, दक्षिण-भोला या शाहजाद सलीम की संपत्ति.	**20.07.2026** **रु. 10,61,102.96 (रु. दस लाख इकसठ हजार एक सौ दो और पैसा छियानवे मात्र)** **11.07.2026 को** **एनपीए दिनांक: 06.07.2026**
5.	**LAN: 601739511680583 और 601739511930076** **1. रईस अजमेरी** **2. श्रीमती फ़िरोज़ बी** **पता:** मकान संख्या 106, धर्मत, तहसील देपालपुर, धर्मत, इंदौर, मध्य प्रदेश 453551	वह संपूर्ण संपत्ति जो स्थित है: मकान/प्लॉट, सर्वे संख्या 495/2 के एक भाग पर ग्राम धर्मत, पुराना पीएच नंबर 03, नया नंबर 08, गौतमपुरा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है. इसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में- नूर मोहम्मद का तबेला थान रोड, पश्चिम में- अजमेरी की पत्नी श्रीमती नियामत बाई की जमीन, उत्तर में- यूनुस का घर और नियामत बाई का तबेला, दक्षिण में- कॉमन रोड, फिर कालू का घर संख्या 19/3.	**20.07.2026** **रु. 65,07,657.5 (रु. पैंसठ लाख सात हजार छह सौ सत्तावन और पैसा पचास मात्र)** **11.07.2026 को** **एनपीए तिथि: 06.07.2026**
6.	**LAN: 623439212179862 और 623439512219545** **1. कालू सिंह सोलंकी** **2. लड़की बाई** **पता:** ग्राम कप्सी, कप्सी धार मध्य प्रदेश 454331	ग्राम कप्सी, ग्राम पंचायत, कप्सी, पीएच नंबर 77, ग्राम पंचायत, मकान नंबर 166, तहसील कुक्षी और जिला धार, मध्य प्रदेश 454331 में स्थित वह संपूर्ण संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 1487.4 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में- रामलाल का घर, पश्चिम में- शेरसिंह का घर, उत्तर में- रास्ता, दक्षिण में- लूनीबाई का घर.	**20.07.2026** **रु. 12,56,902.75 (रु. बारह लाख छप्पन हजार नौ सौ दो और पैसा पिचहत्तर मात्र) दिनांक 11.07.2026 को** **एनपीए दिनांक: 06.07.2026**
7.	**LAN: 601707210287004 और 601707510324805** **1. मनोज हटिया 2. रीना 3. एम.ए. कंस्ट्रक्शंस प्रोपराइटर- मनोज हटिया पता:** 232 वृंदावन धाम गोयल खुर्द महानंदा उज्जैन मध्य प्रदेश 456010	वृंदावन धाम गोयल खुर्द उज्जैन में स्थित मकान/प्लॉट संख्या 232-ए, जिसका क्षेत्रफल 57.35 वर्ग मीटर है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व- अन्य का खुला भूभाग, पश्चिम- कॉलोनी की सड़क, उत्तर- अन्य का खुला भूभाग, दक्षिण- मकान संख्या 232.	**20.07.2026** **रु. 13,21,265.25 (रु. तेरह लाख इक्कीस हजार दो सौ पैंसठ और पैसा पच्चीस मात्र) दिनांक 11.07.2026 को** **एनपीए दिनांक: 06.07.2026**
8.	**LAN: 615039511855809 और 615039211824546** **1. मुकेश शर्मा** **2. पूजा शर्मा** **पता:** प्रभा विहार के पास, मंदसौर, मध्य प्रदेश 458001	समग्र संपत्ति आवासीय मकान, एलएसएन 149/1 कितियानी के एक भाग में स्थित है, मंदसौर तहसील और जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश. क्षेत्रफल 570 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- अन्य भूमि, उत्तर में- विक्रेता की शेष संपत्ति, दक्षिण में- प्रजापत जी का प्लॉट.	**20.07.2026** **रु. 4,12,163.34 (रु. चार लाख बारह हजार एक सौ तिरेसठ और पैसा चौंतीस मात्र) दिनांक 11.07.2026 को** **एनपीए दिनांक: 06.07.2026**

उधारकर्ताओं को मांग नोटिस का अनुपालन करने और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है और यहां ऊपर इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस सहित भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक शुल्क, लागत और व्यय. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएचएफसी एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा सुरक्षित की गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति. ऐसी स्थिति में उधारकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहते हैं समय के साथ, एसएमएचएफसी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा. बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है इसके तहत भुगतान प्राप्त करें. एसएमएचएफसी को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएचएफसी को अलग कानूनी पहल करने का भी अधिकार है. यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही एसएमएचएफसी को. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत एसएमएचएफसी के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, जिसके तहत उधारकर्ता को निपटान या लेन-देन से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है. किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करना एसएमएचएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति और उपरोक्त का अनुपालन न करना धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है उक्त अधिनियम के. डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें तो, कर सकते हैं. इसे सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें.

स्थान- उज्जैन/इन्दौर/मन्दसौर/धार, मध्यप्रदेश | **एसडी/-**

दिनांक- 20-7-2026 | **प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड**